

पत्र संख्या
सेवामें,

365 / 16 सी -

दिनांक 02/02/2025

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/8718/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा
झुंगरी चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक
निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ- उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1051/X-4-15/1(531)/2015 दिनांक 02.11.2015 एवं आपका
पत्र संख्या 2476/12-1(2) दिनांक 27.01.2023 एवं आपका पत्र संख्या 2369/12-1(2) दिनांक
01.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या
2963/16सी दिनांक 28.08.2018 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय होने के कारण
एनपीवी की बढ़ी हुए धनराशि जमा किये जाने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की संशोधित
विन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः उपलब्ध कराये जाने लिखा गया है-

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.925 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित 1.4625 है० भूमि के बदले दुगुनी भूमि 2.925 है० के 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 7,40,996.00 मात्र की RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 1508911387182014281 IFSC code CORP0000371, Corporation Bank के खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1) चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने से सम्बन्धित म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। (संलग्न- संलग्नक-2)। चयनित भूमि के सीमांकन हेतु पिलरों का निर्माण किया जा चुका है, प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण (पथ वृक्षारोपण) एवं इसके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 6,19,144.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि रु० 9,60,863.00 मात्र की धनराशि ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक-1 के अनुसार)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में बढोत्तरी की धनराशि रु० 5,09,257.00 मात्र की ऑन लाइन जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक-4)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस०वी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का	शर्त संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 7,40,996.00 + 6,19,144.00 + 9,60,863.00 + 5,09,257.00 मात्र) = रु० 28,30,260.00 ऑन लाइन जमा की जा चुकी है। जिसका विवरण उक्तानुसार वर्णित है। तथा उक्त शर्त हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

	उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आसपास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्याबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न हैं (संलग्नक-5)।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	इंगित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्तानुसार शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 8 के अनुसार अनुपालन किया गया है/जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

1	ROAD 110552015796	17 Jun 2016	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	11387182014281	113871820142
---	-------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

...UserAccountControl\...
फोडो प्रक्षिप्त सत्यापित

Asstt Engineer
Prov. Division P.W.D
Alm Rudraprayag

:: आदेश ::

तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने अपने पत्र संख्या-019/र.व.न.-शति पू.नू./2013-14 दिनांक 12 दिसम्बर 2015 को उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ने अग्रसारित किया है, के द्वारा अयस्क करवाया है, रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा-डुंगरी-चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग-4 उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सीद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्तित सिविल सौयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.925 है० को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामानांरित किया जाना है।

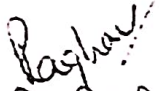
तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने अपने उक्तांकित पत्र दिनांक 22 दिसम्बर 2015 के द्वारा रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपडा-डुंगरी-चापड मोटर मार्ग के निर्माण के लिये क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम डुंगरी के नान० जेड०ए० खतौनी की श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अक्षत भूमि से ज्ञात संख्या-15 के खसरा नं०-2302, 2303, 2304 एवं 2305 मध्ये कुल रकबा 2.925 है० भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

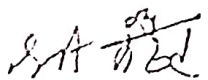
अतः शासनादेश संख्या-2173/XVIII (II) /2012-18 (129)/2010, राजस्व अनुभाग-2, दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार उक्त चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामानांरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

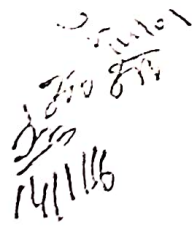

(डा० राघव लंगर),
आई.ए.एस.

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

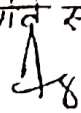
संख्या-1425/घ.बीस-एल०.ए०सी० (2015-16)	दिनांक, रुद्रप्रयाग, जनवरी 23, 2016
प्रतिलिपि-	निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1-	सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2-	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3-	आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4-	अधिकासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग।
5-	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
6-	उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, रुद्रप्रयाग।


जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।







फोटो प्रति सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Al. Rudraprayag

5/08/14

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

सेवा

आवृत्त शर्ती अभियन्ता
प्राचीन स्वच्छ लोडिंग/विटो
रुद्रप्रयाग

दिनांक रुद्रप्रयाग जुलाई 30 2016
संख्या- 1313 / 2010- विविध / 2010
विषय- वन भूमि पत्रावली संख्या एक भी/यूके/रोड/0710/ 2014 चोपडा
-रूनी-चापड मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 1.4121 हे० का दुंगुना
क्षेत्रफल वन भूमि का गैर कानूनी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को
हरतान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 1943/10 री दिनांक 07.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वन भूमि प्रत्यापन प्रकरण पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु म्यूटेशन /अमल दरामद की प्रति में कुल रकवा 2.925 हे० भूमि वन विभाग के पास में अमलदरामद किये जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु उपरोक्त चारों खसरा नम्बरों का योग करने पर कुल रकवा 2.655 हे० हो रहा है।

उक्त के कम में राजस्व उप निरीक्षक चोपडा को स्पष्ट आख्या, उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक चोपडा द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश संख्या 1425/छन्नीस एल0ए0सी0 /2015-16 दिनांक रुद्रप्रयाग जनवरी 23,2016 के कम में चोपडा-दुंगरी-चापड मोटर मार्ग निर्माण के लिये क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिये सिविल सोयम भूमि ग्राम दुंगरी के नान जोड ए खतौनी की श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के ख0ख0स0 15 के खसरा नम्बर 2302 रकवा 0.425 हे० खसरा नम्बर 2303 रकवा 0.343 हे० खसरा नम्बर 2304 रकवा 1.321 हे० खसरा नम्बर 2305 मध्ये रकवा 0.836 हे० कुल रकवा 2.925 हे० चयनित भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद की जा चुकी है। जिसकी खतौनी नकल भूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

पृष्ठ में राजस्व उप निरीक्षक द्वारा तैयार नकल खतौनी में कलगी भूल से खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल गलत दर्ज हो गया था जिससे सही अमल दरामद सुदा खतौनी नकल की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न - यथोपरि

भवदीय

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

संलग्न स्वच्छ अभियन्ता

27/08/14

प्रति सत्यमेव जयते
रुद्रप्रयाग अभियन्ता
लोडिंग/विटो

R.K. Letter

प्रति सत्यापित
46

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
AL Rudraprayag

ה'תשנ"ח
בני ברק

मंगल ग्रहों की कक्षाओं के अक्षल व संपार मिति

तहरीलदार
अद्वप्रयाग

अतिरिक्त
21/03/2011
27/03/2011

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D.
Rudraprayag

प्रति सत्यमेव जयते

संलग्नक ३-अ-१५५
३०/०८/२०१०

५९.५५

महोदय

— ६२ —

प्राये प्रति, सत्यापित

Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D
Abe Rudraprayag

27/01/2016

संविधान संरक्षण

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा डूंगरी चापड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4625 है० वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दुगुनी भूमि ग्राम डुंगरी के राजस्व भूमि 2.925 है० क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है—

म्यूटेशन आदेश का पत्रांक व दिनांक	श्रेणी	खाता संख्या	खसरा नम्बर	कुल रकवा है० में	अर्जित रकवा है० में
1425/छब्बीस एस.ए.सी.2015 दिनांक 23.01.2016	श्रेणी 10(4) भीटा	15	2302 2303 2304 2305	0.425 0.343 1.321 0.855	0.425 0.343 1.321 0.836
	योग		4	2.944	2.925

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार पिलरों से सीमांकन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम	कुल क्षेत्रफल है० में	पिलर संख्या	पिलर का साईज	अक्षांश	देशान्तर
ग्राम डूंगरी	2.925	4	60cm x 60cm x 75cm	30.327524 N 30.328292 N 30.327194 N 30.32982 N	79.060159 E 79.059568 E 79.059379 E 79.062554 E

हस्ताक्षर

अधिशाली अभियन्ता

प्रा०ख० लो०नि०वि०

रुद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र
तहसील रुद्रप्रयाग
जिला-रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

राजस्व विभाग
मुहर सहित

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

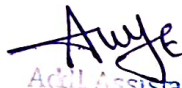
हस्ताक्षर

वन विभाग
मुहर सहित

प्रमाण पत्र

विषय— वनभूमि पत्रावली संख्या **FP/UK/ROAD/8718/2015** जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा डूंगरी चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4625 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि चोपड़ा डूंगरी चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि पर पिलरों द्वारा सीमांकन कर लिया गया है।

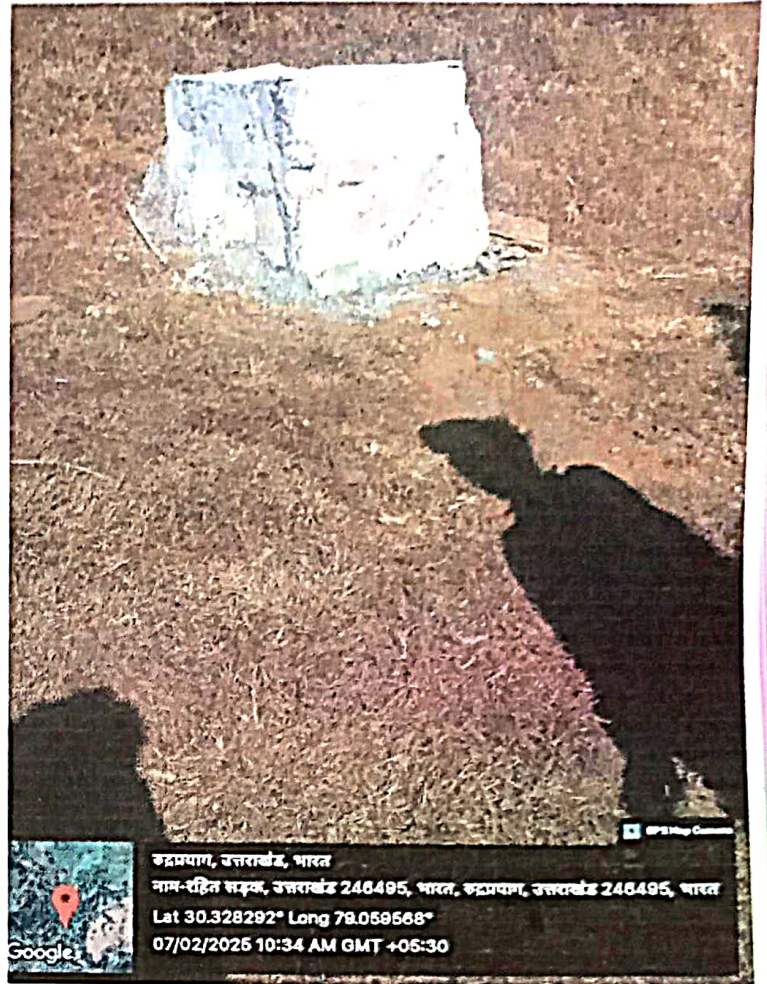

Adil Assistant Engineer
R.D. P.W.D.
Rudraprayag


सहायक अभियन्ता
प्रा०स० लो०वि०वि०
रुद्रप्रयाग

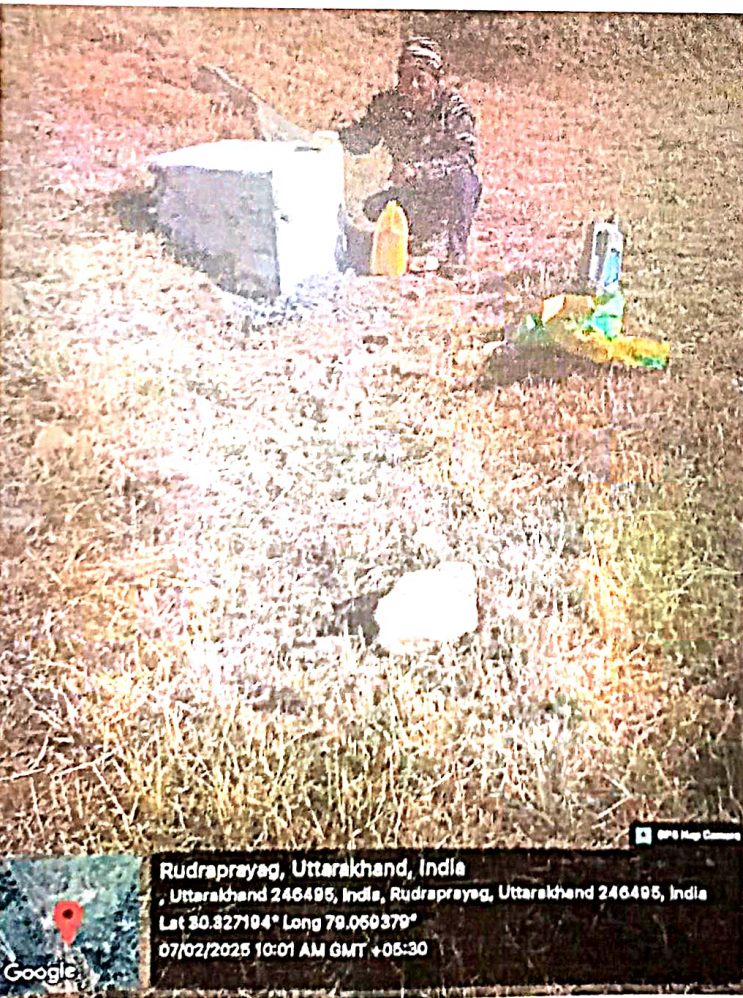

(इं० इन्द्रजीत बोस)
अधिसी० अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०वि०वि०
रुद्रप्रयाग।



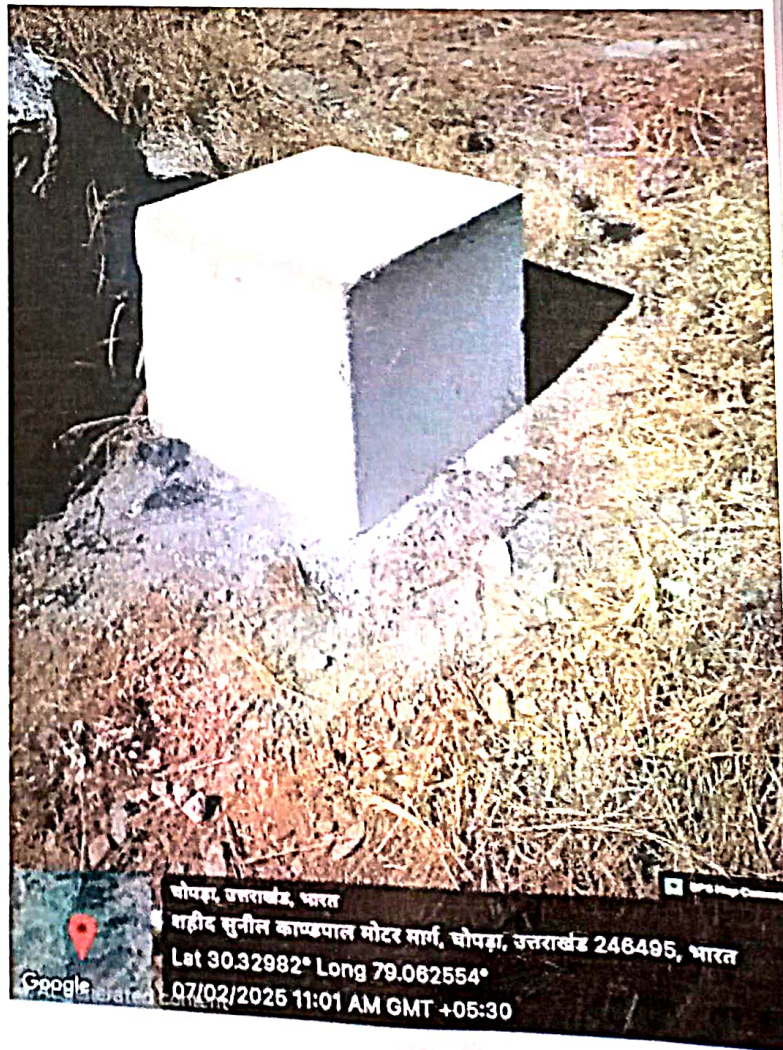
Chopda, Uttarakhand, India
Shaheed Sunil Kandpal Motorway, Chopda, Uttarakhand 246495, India
Lat 30.327624° Long 79.060159°
07/02/2025 10:13 AM GMT +05:30



उद्दप्रयाग, उत्तराखंड, भारत
नाम-चिह्नित सड़क, उत्तराखंड 246495, भारत. उद्दप्रयाग, उत्तराखंड 246495, भारत
Lat 30.328292° Long 79.059568°
07/02/2025 10:34 AM GMT +05:30



Rudraprayag, Uttarakhand, India
Uttarakhand 246495, India, Rudraprayag, Uttarakhand 246495, India
Lat 30.327194° Long 79.060379°
07/02/2025 10:01 AM GMT +05:30



चोपड़ा, उत्तराखंड, भारत
शाहीद सुनील काण्डपाल मोटर मार्ग, चोपड़ा, उत्तराखंड 246495, भारत
Lat 30.32982° Long 79.062554°
07/02/2025 11:01 AM GMT +05:30

[illegible]

फाल्गुने प्रह्लि सद्योपित

**Asstt Engineer
Pray Division P.W.D**

Dr. Rudraprayag

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- चोपड़ा

तहसील अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग

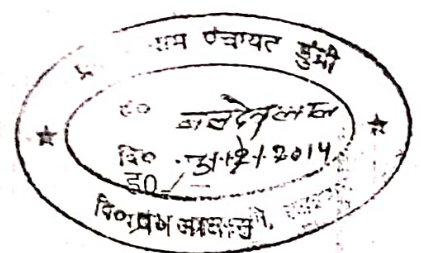
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.0000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.0000 हे० वन भूमि, 1.4625 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4625 हे० वन भूमि को लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव को विवरण में ग्राम पंचायत डूंग्री द्वारा दिनांक 03/12/2014 को सन्तुष्ट करने के लिए ग्राम पंचायत को बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के लब्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा आदिवासी जाति के व्यक्ति का निवास/कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा सन्तुष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का निवास/कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समूह द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव सन्तुष्ट किया गया कि ग्राम डूंग्री के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सन्तुष्ट किया जा सका एवं सही है।



यदि कोई व्यक्ति आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका दिव्यन उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायगा।

परिष्कारित
र.प्र.भ.अ.स.स.स.
03/12/2014

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

दिनांक 23/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

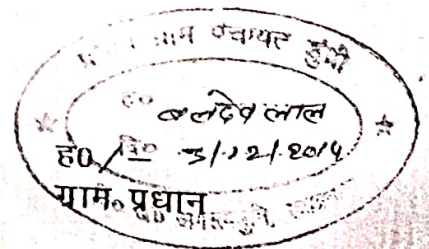
ग्राम पंचायत डूंग्री

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	श्री हनुमान सिंह बुढोला	सिंह
2 -	" विशाल सिंह बुढोला	विशाल सिंह
3 -	" रमेश चन्द	Ramesh
4 -	" शारद कुपण	शारद कुपण
5 -	" अनुसुभा सिंह	अनुसुभा सिंह
6 -	" विष्णु लाल सिंह	विष्णु
7 -	" लक्ष्मण सिंह	Lakshman
8 -	" दिग्पाल सिंह	दिग्पाल
9 -	श्रीमती मोती देवी	मोती देवी
10 -	" उमिलो देवी	उमिलो देवी
11 -	" रानी देवी	रानी देवी
12 -	" गोपा देवी	गोपा देवी
13 -	श्री कमल सिंह	Kamal Singh
14 -	" राजीव सिंह	Rajiv Singh
15 -	" लोना सिंह	लोना सिंह
16 -	" विक्रम सिंह	Vikram
17 -	" प्रकाश सिंह	Prakash
18 -	" प्रेम सिंह	Prem Singh
19 -	" लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
20 -	" शरद्वीरा सिंह	शरद्वीरा सिंह
21 -	" सत्य सिंह	Saty
22 -	" हजरा कुमारी	हजरा

परिचालक

रुद्रप्रयाग
जनपद
अगस्त्यमुनि

संलग्न



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०) 0.0000 हे० अनुसूचित वन भूमि 0.0000 हे० सिविल सौधग भूमि 1.4625 हे० वन पंचायत वन भूमि 1.4625 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक ०१/०८/२०१८ की बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री

उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में

आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री पुष्पेश्वर शर्मा अध्यक्ष

श्री सुखदेव शर्मा उप जिलाधिकारी

3- श्री विजय शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी

4- श्री शिव शर्मा वी०डी०सी० क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०) परियोजना हेतु 1.4625 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम राभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम राभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

सचिव उप प्रमाणिक वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जनजाति से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी कारणवश का प्रस्ताव/अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अवधि में ग्राम राभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु 1.4625 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील

जनपद

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

अतिरिक्त अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--- 49

Dated-19-03-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4625 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag (name of user agency) for Construction of Chopra-Dungri-Chapar Motor Road under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Temna, Pali,, Dungri, Semalsari village (s) in Rudraprayag tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

प्रति सम्बन्धित
सहायक अधीक्षक
प्रभुदेव लोहिया
रुद्रप्रयाग

(Dr. Raghav Langer) Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

70 धिता नविसारी
प्रभुदेव लोहिया

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 19.03.2015 at time 2:00 PM...at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 1.4625 hect for the Construction of Chopra-Dungri-Chapar Motor Road (2.775 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated: 19/03/2015

रुद्रप्रयाग
सहायक अधीक्षक
संरक्षण विभाग
रुद्रप्रयाग

Raghav
(Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag
रुद्रप्रयाग